न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—403 सन् 2016

मराछो देवी वगैरह.....................................वादीगण।

बनाम

राम ललीत राय वगैरह..................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 19.08.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी सं0 03 की ओर से आदेश 22 नियम 03 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 18.07.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी सं0 03 का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के वादी सं0 02 सोमरिया देवी जौजे हरिचरण राय की मृत्यु दिनांक 23.05.2022 को अपने कानूनी वारिसान को छोड़कर अपने ससुराल पटना जिला में हो गई है। वादी सं0 03 मृत वादी सोमरिया देवी का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसान को प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी सं0 02 सोमरिया देवी का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को कलमबद्ध करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा—5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदक का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 02 सोमरिया देवी थी जिनकी मृत्यु दिनांक 23.05.2022 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी सं0 03, वादी सं0 02 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 18.07.2023 को 500/—रूपया खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत 'बिहार सरकार' के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक....................को साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।